उत्तर प्रदेश (निर्माण–कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958

(उ0 प्र0 अधिनियम सं0 34, 1958 ई0)

THE UTTAR PRADESH (REGULATION OF BUILDING OPERATIONS) ACT, 1958

(U.P. Act No. XXXIV of 1958)

उत्तर प्रदेश (निर्माण–कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958[1]

[उ० प्र० अधिनियम संख्या 34, 1958 ई०]

उ0 प्र0 अधिनियम सं0 11, 1960

उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1961

उ0 प्र0 अधिनियम सं0 02, 1964

उ0 प्र0 अधिनियम सं0 01, 1966

उ0 प्र0 अधिनियम सं0 29, 1966

उ0 प्र0 अधिनियम सं0 41, 1976

द्वारा संशोधित

[उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 9 अक्टूबर, 1957 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 11 अगस्त, 1958 ई० की बैठक में स्वीकृत किया ।

"भारत संविधान के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 8 अक्टूबर, 1958 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 16 अक्टूबर, 1958 ई० को प्रकाशित हुआ ।]

एक

ऐक्ट

उत्तर प्रदेश में निर्माण कार्यो के विनियमन करने की व्यवस्था करने का

यह इष्टकर है कि नागर एवं ग्राम्य क्षेत्रों के अनियोजित विकास को रोकने के उद्देश्य से निर्माण कार्यो के विनियमन की व्यवस्था की जाये ;

अतएव् भारतीय गणतंत्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:——

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 कहलायेगा ।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

2–विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में, ——

(क) "सुख–सुविधा" (amenity) के अन्तर्गत सड़कें, जल–वितरण सड़कों पर प्रकाश प्रबन्ध (street lighting), जल–निष्कासन (drainage), मल–निष्कासन (sewerage), सार्वजनिक पार्क तथा अन्य कोई सुविधा जिसे राज्य सरकार सरकारी

1. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 29 अगस्त 1957 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिए ।

गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त सुख–सुविधा निर्दिष्ट करे, है ;

1[(ख) "भवन" का वही तात्पर्य है जो उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 में है ;]

(ग) 2[* * * *]

3[(घ) "विनियमित क्षेत्र" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जिसके संबंध में धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन प्रख्यापन तत्समय प्रवृत्त हो,]

(ङ) शाब्दिक विभिन्नताओं तथा सजातीय पदों सहित "विकास" का तात्पर्य भूमि में, उस पर, उसके ऊपर अथवा भीतर किसी भवन–निर्माण–कार्य यांत्रिक–कार्य (engineering), खनिज कार्य अथवा अन्य कार्य अथवा किसी भवन या भूमि में किसी सारवान परिवर्तन (material change) से है ;

(च) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन निर्मित 4[नियमों] द्वारा नियत से है ;

(छ) "नियत प्राधिकारी" का तात्पर्य किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निकाय से है जिसे राज्य सरकार किसी विनियमित क्षेत्र के संबंध में सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस रूप में नियुक्त करे ;

(ज) किसी भवन के संबंध में "निर्माण करने" का तात्पर्य सब से पहली बार भवन के बनाने अथवा किसी वर्तमान भवन को गिरा कर किसी नवीन अथवा पुनरीक्षित योजना के अनुसार उसके फिर से बनाने से है ;

(झ) किसी भवन के संबंध में "पुनर्निर्माण" का तात्पर्य किसी भवन अथवा उसके अंश के, उसे गिरा कर उसी नक्शे (plan) के अनुसार ही पहले स्वीकृत हुआ था दुबारा अथवा फिर से बनाने से है ;

(ञ) किसी भवन के संबंध में "सारवान परिवर्तन करने (to make material change)" का तात्पर्य है किसी वर्तमान भवन में परिवर्द्धन अथवा किसी छत, खिड़की या दरवाजे में, यदि ऐसी खिड़की या दरवाजा किसी कमरे के प्रकाश तथा उपवीजन पर विपरीत प्रभाव डालता हो, अथवा किसी अहाते की दीवाल में अथवा किसी भी रूप में स्वच्छता तथा जल निष्कासन प्रणाली (sanitary and drainage system) में किसी अन्य परिवर्तन द्वारा परिष्कार का किया जाना और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित है :––

(1) भवन के किसी कमरे की ऊंचाई अथवा आच्छन्न क्षेत्र (covered area) अथवा घनिक समाव (cubical capacity) का घटाना या बढ़ाना ;

(2) किसी ऐसे भवन अथवा उसके भाग को जो मूलतः एक ही निवासगृह के रूप में बना हो एकाधिक निवासगृहों के रूप में परिवर्तन तथा इसका विलोमक्रम (*vice versa*);

(3) सामान्तया मानव आवास (human habitation) के निमित्त अभिप्रेत किसी भवन का निवासगृह (dwelling house) के रूप में परिवर्तन अथवा इसका विलोमक्रम (*vice versa*) ;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 41, 1976 की धारा 44(1) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 11, 1960 की धारा 2 द्वारा निकाला गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 29, 1966 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 41, 1976 की धारा 41 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(4) किसी निवासगृह अथवा उसके भाग का दुकान, गोदाम अथवा फैक्ट्री में परिवर्तन या उसका विलोमक्रम ;

(5) किसी एक प्रयोजन जैसे दुकान, गोदाम या फैक्ट्री आदि के लिये प्रयुक्त या प्रयोग के लिये अभिप्रेत भवन का किसी दूसरे प्रयोजन के लिये परिवर्तन ;

(6) किसी भवन अथवा उसके किसी भाग का वेश्यालय, मदिरालय, अथवा द्यूतालय अथवा ऐसे ही किसी रूप में परिवर्तन ; तथा

(7) किसी सड़क या भूमि से, जिसका कि स्वामित्व दीवाल के मालिक में निहित न हो, संलग्न दीवाल में ऐसा दरवाजा या खिड़की लगाना जो कि ऐसी सड़क या भूमि की ओर खुलते हों अथवा बाहरी दीवाल के किसी दरवाजे या खिड़की की स्थायी रूप से बन्द करना ।

किन्तु इसके अन्तर्गत बागवानी, सफेदी करना, रंगाई करना (painting), पलस्तर करना, टीप भरना (pointing) तथा अन्य निर्दिष्टियों (specifications) के रूप में परिष्कार नहीं है ।

विनियमित क्षेत्र का प्रख्यापन

3–(1) यदि राज्य सरकार की राय में उत्तर प्रदेश में स्थित किसी क्षेत्र का, भूमि के अव्यवस्थित वितरण (bad laying out), भवनों के अनियोजित निर्माण (haphazard erection of buildings) या निम्न स्तर के उपनिवेशों की बढ़ती को रोकने के लिये अथवा उपयुक्त योजना के अनुसार उस क्षेत्र के विकास और विस्तार के लिये, इस अधिनियम के अधीन विनियमन अपेक्षित है तो सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा राज्य सरकार उस क्षेत्र को विनियमित प्रख्यापित कर सकती है ।

[1][(2) किसी विनियमित क्षेत्र के संबंध में उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 के अध्याय 13, [2][यूनाइटेड प्राविंसेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 की धारा 178, 179, 180, 180–ए, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, और 222] (या उसकी धारा 338 के अधीन अथवा यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, 1914 की धारा 38 के अधीन यथा प्रसारित उक्त धारायें), यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेन्ट ऐक्ट, 1919 की धारा 29, 30 और 32, या यथास्थिति, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 162 से 171 तक का प्रवर्तन उस अवधि के लिए निलम्बित रहेगा जिसमें उपधारा (1) के अधीन इससे संबद्ध घोषणा लागू रहे, और यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, 1904 की धारा 6 के उपबन्ध ऐसे निलम्बन के संबंध में इस प्रकार लागू होंगे मानों कि निलम्बन इस अधिनियम द्वारा उक्त अधिनियमितियों का निरसन हो ।]

नियंत्रक प्राधिकारी

4–(1) किसी भी क्षेत्र के इस अधिनियम के अधीन विनियमित क्षेत्र प्रख्यापित हो जाने पर राज्य सरकार यथाशीघ्र ऐसे क्षेत्र के लिये एक प्राधिकारी संघटित करेगी जिसे एतत्पश्चात् नियंत्रक प्राधिकारी (controlling authority) कहा जायेगा और जो इस अधिनियम के अधीन अभ्यर्पित कृत्यों का संपादन करेगा ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 29, 1966 की धारा 15 द्वारा बढ़ाया गया ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 41, 1976 की धारा 45 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][(2) The Controlling Authority shall, subject to the provisions of sub-section (2-A), consist of the following members not exceeding nine, namely —

(क) [2][x x x] उस डिवीजन का कमिश्नर जिसमें विनियमित क्षेत्र स्थित हो, अथवा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी जिसका पद सब–डिवीज़नल मैजिस्ट्रेट के पद से निम्न न हो,

(ख) राज्य सरकार के चार नामांकी (nominees) जिनमें से एक उत्तर प्रदेश सरकार का टाउन प्लानर अथवा उसका नामांकिती होगा,

(1) उस जिले के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का प्रेसीडेन्ट जिसमें विनियमित क्षेत्र अथवा उसका कोई भाग स्थित हो,

(2) उस म्युनिसिपैलिटी अथवा नोटीफाइड एरिया, यदि कोई हो, का प्रेसीडेन्ट जिसमें विनियमित क्षेत्र स्थित हो अथवा जो विनियमित क्षेत्र से संलग्न हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि विनियमित क्षेत्र एक से अधिक स्थानीय निकायों की सीमाओं के भीतर हो तो नियंत्रक प्राधिकारी ऐसे स्थानीय निकाय/निकायों के किसी अन्य प्रेसीडेन्ट/प्रेसीडेन्टों को अनुयुक्त (co-opt) कर सकता है,

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिये "प्रेसीडेंट" के अन्तर्गत यथास्थिति कोई भी वह व्यक्ति है जो यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, 1922, यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज़ ऐक्ट, 1916 के उपबन्धों के अधीन प्रेसीडंट के अधिकारों का प्रयोग कर रहा हो ।

यू० पी० ऐक्ट सं० 10, 1922
यू० पी० ऐक्ट सं० 2, 1916

[3][(2) (क) The Controlling Authority shall have the power to co-opt as members one or two other persons.]

(3) गणपूर्ति (quorum) के निमित्त अपेक्षित सदस्यों की संख्या तथा कार्य–संपादन में नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया वह होगी जो नियत की जाय ।

(4) नियंत्रक प्राधिकारी में किसी रिक्ति के होते हुये भी नियंत्रक प्राधिकारी के कृत्यों का संपादन किया जा सकता है ।

(5) [4][x x x]

(6) नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा किया गया सब कार्य उस प्राधिकारी के नाम में किया हुआ प्रकट किया जायगा तथा उक्त प्राधिकारी के नाम में दी गई आज्ञायें तथा अन्य करण (instruments) उस रीति से प्रमाणित (authenticated) किये जायेंगे जो नियत की जाय और इस प्रकार प्रमाणित किसी भी आज्ञा या करण की वैधता पर इस आधार पर आपत्ति नहीं की जा सकेगी कि वह आज्ञा या करण नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा की गई अथवा निष्पादित नहीं है ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 11, 1960 की धारा 3 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 41, 1976 की धारा 46 द्वारा निकाला गया।

3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 11, 1960 की धारा 3 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 11, 1960 की धारा 3 (ग) द्वारा निकाला गया।

किसी विनियमित क्षेत्र के संबंध में आदेश प्रचारित करने का अधिकार

5–[1][राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा किसी विनियमित क्षेत्र के संबंध में ऐसे विनियम, जो इस अधिनियम या नियमों से असंगत न हों और जिन्हें वह निम्नलिखित विषयों मे से किसी एक या एकाधिक के संबंध में आवश्यक समझे, जारी कर सकती है] ; अर्थात् :–

(क) किसी स्थल (site) का भवनों के निर्माण के निमित्त टुकड़ों में विभाजन तथा वह रीति जिसके अनुसार ये टुकड़ें भावी क्रेताओं अथवा पट्टेदारों को प्रदिष्ट किये जायें ;

(ख) सड़कों, खुली जगहों, उद्यानों, मनोरंजन, स्थलों, स्कूलों, बाजारों तथा अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त भूमि की प्रदिष्टि (allotment) अथवा संरक्षण ;

(ग) किसी स्थल का नगरी (township) अथवा उपनिवेश के रूप में विकास तथा वे निरोध एवं प्रतिबन्ध जिनके अधीन रहते हुये ऐसा विकास कार्य आरंभ किया जाय अथवा संपादित हो ;

(घ) किसी स्थल पर मकानों का निर्माण तथा भवनों के चारों ओर अथवा भवनों में रखी जाने वाली खुली जगहों के संबंध में तथा ऐसे भवनों की ऊंचाई तथा प्रकार के संबंध में निरोध तथा प्रतिबन्ध ;

(ङ) किन्ही स्थलों पर भवनों का पंक्तिबद्ध (alignment) करना ;

(च) किसी स्थल पर बनाये जाने वाले किसी भवन के उत्सेध अथवा सामुख्य (elevation or frontage) विषयक वास्तुकला संबंधी विशेषतायें (architectural features) ;

(छ) निवास–भवनों की संख्या जो किसी एक स्थल पर बनाये जा सकें ;

(ज) किसी ऐसे स्थल पर स्थल अथवा भवनों से संबंध दी जाने वाली सुख–सुविधायें जो चाहे भवन–निर्माण से पूर्व अथवा पश्चात् दी जाती हों तथा वह व्यक्ति अथवा प्राधिकारी जिसके द्वारा ये सुख–सुविधायें दी जायंगी ;

(झ) किसी स्थान (locality) में दुकानों, कारखानों, गोदामों, फैक्ट्रियों अथवा किसी विशिष्ट वास्तुकता वाले भवनों अथवा विशेष प्रयोजनों के निमित्त भवनों के निर्माण के संबंध में निषेध अथवा निरोध (restricitons) ;

(ञ) दीवालों, बाड़ों (fences), झाड़ी से बनी टट्टियों (hedges) अथवा अन्य रचनात्मक अथवा वास्तु–कलात्मक विनिर्माण (structural or architectural construction) का रखरखाव तथा ऊंचाई जिस तक वे रखे जायंगे ;

(ट) भवनों के निर्माण से भिन्न प्रयोजनों के निमित्त किसी स्थल के प्रयोग के संबंध में निरोध ;

(ठ) अन्य कोई विषय जो किसी विनियमित क्षेत्र के उचित आयोजन के निमित्त अथवा ऐसे क्षेत्र में भवनों के अनियोजित (haphazard) निर्माण को रोकने के निमित्त आवश्यक हो ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 41, 1976 की धारा 47 द्वारा प्रतिस्थापित ।

विनियमित क्षेत्र के लिए महायोजना

[1][**5–क–**(1) यदि राज्य सरकार की राय में किसी विनियमित क्षेत्र का महायोजना के अनुसार विकास करना अपेक्षित हो तो वह ऐसी योजना या तो नियंत्रक प्राधिकारी के माध्यम से अथवा ऐसे अन्य अभिकरण के माध्यम से जिसे वह उचित समझे, तैयार करा सकती है ।

(2) प्रत्येक ऐसी योजना तदर्थ बनाये गये किन्हीं नियमों या विनियमों के अनुरूप होगी ।

(3) महायोजना का पुनरीक्षण प्रत्येक दस वर्ष की समाप्ति पर किया जायगा, और यदि राज्य सरकार उचित समझे तो उसका पुनरीक्षण इसके पूर्व भी किया जा सकता है।]

विनियमित क्षेत्रों में विकास एवं निर्माण कार्यो का नियंत्रण

6–कोई व्यक्ति किसी विनियमित क्षेत्र में, [4][इस अधिनियम] के अधीन प्रचारित [3][विनियमों] के विपरीत, यदि कोई हों, तथा नियत प्राधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी भी स्थल का विकास कार्य न तो आरंभ करेगा और न उसे पूरा करेगा और न ऐसे क्षेत्र में किसी भवन का [2][निर्माण, पुनर्निर्माण अथवा उसमें सारवान परिवर्तन] करेगा या कोई खोदाई करेगा या खोदाई को बढ़ायेगा, और न ऐसे क्षेत्र में किसी सड़क से मिलने वाला कोई रास्ता बनायेगा ।

अनुज्ञा के लिये प्रार्थना–पत्र

7–(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा 6 में अभिदिष्ट अनुज्ञा प्राप्त करना चाहता हो, नियत प्राधिकारी के पास ऐसे आकार में तथा ऐसी सूचना सहित जो विकास, भवन, खोदाई अथवा रास्तों के संबंध में, जिससे कि प्रार्थना–पत्र सम्बद्ध हो, नियत हो, लिखित प्रार्थना–पत्र देगा ।

[5][(2) ऐसा प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर, नियत प्राधिकारी, ऐसी जाँच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, लिखित आज्ञा द्वारा या तो, ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, जो आज्ञा में निर्दिष्ट की जायं, अनुज्ञा देगा या ऐसी अनुज्ञा देने से इन्कार करेगा ।

(2–क) एकमात्र वे कारण जिन पर अनुज्ञा देने से इन्कार किया जा सकता है, निम्नलिखित है, अर्थात् ––

(क) ऐसे निर्माण–कार्य या निर्माण–कार्य के स्थल के उपयोग से अथवा स्थल नक्शे, भूमि–नक्शे उत्सेध, सेक्शन या विनिर्दिष्टियों में समाविष्ट किसी ब्योरे से किसी विधि या इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन दी गयी किसी आज्ञा अथवा बनाये गये किसी नियम या विनियम के उपबन्ध का उल्लंघन होगा ;

(ख) ऐसी अनुज्ञा के लिए प्रार्थना–पत्र में नियत ब्योरे नहीं दिये गये हैं अथवा वह नियत रीति से तैयार या हस्ताक्षरित नहीं किया गया है ;

(ग) नियमों या विनियमों के अधीन नियत प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित कोई सूचना या लेख्य यथाविधि प्रस्तुत नहीं किया गया है ;

(घ) प्रस्तावित भवन से किसी सार्वजनिक भू–गृहादि का, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू–गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 में परिभाषित है, अतिक्रमण होगा ;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 41, 1976 की धारा 48 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 26, 1961 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 41, 1976 की धारा 49 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 11, 1962 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 41, 1976 की धारा 50(1) द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ङ) ऐसे भवन का स्थल सड़क से लगा हुआ नहीं है, और उस भवन में ऐसी सड़क से, उस स्थल से सम्बद्ध किसी ऐसे मार्ग या रास्ते द्वारा जो बारह फीट से कम चौड़ा न हो, पहुंचने का कोई साधन नहीं है ;

(च) निर्माण–कार्य का स्थल ऐसे क्षेत्र का भाग है, जिसका विन्यास नक्शा स्वीकृत नहीं किया गया है ;

(छ) प्रस्तावित भवन का उपयोग या नक्शा महायोजना के अनुरूप नहीं है ।

(2–ख) यदि प्रार्थना–पत्र में नियत ब्योरे न दिये गये हों अथवा वह नियत रीति से तैयार या हस्ताक्षरित न किया गया हो तो नियत प्राधिकारी उसे अस्वीकार करने के बजाय, प्रार्थी को उसे संगत नियमों तथा विनियमों के अनुरूप बनाये जाने के लिए लौटा सकता है ;

(2–ग) विशेषतया, और उपधारा (2) में दिये गये उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियत प्राधिकारी, किसी भूमि क्षेत्र को कालोनी के रूप में विकसित करने के लिए धारा 6 के अधीन अनुज्ञा देते समय निम्नलिखित सभी या कोई शर्तें आरोपित कर सकता है, अर्थात् ––

(क) प्रार्थी सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकारी के माध्यम से अथवा अन्य ऐसे अभिकरण के माध्यम से जो निर्दिष्ट किया जाय, नियत मानकों के अनुसार ऐसे क्षेत्र का विकास और उसमें सुख–सुविधाओं की व्यवस्था का प्रबन्ध करेगा और तदर्थ ऐसे प्राधिकारी या अन्य अभिकरण से अनुबन्ध करेगा अथवा उसे पर्याप्त प्रतिभूति देगा, अथवा स्वयं ऐसा विकास और ऐसी सुख–सुविधाओं की व्यवस्था करने का वचन देगा और राज्यपाल के पक्ष में, प्रतिभू सहित या प्रतिभू रहित तदर्थ बन्धपत्र, नियत प्राधिकारी के संतोषानुसार निष्पादित करेगा ;

(ख) प्रार्थी राज्य सरकार या सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकारी की मार्गों सार्वजनिक पार्कों तथा अन्य लोकोपयोगी सेवाओं के लिये प्रसंग रखी जाने वाली भूमि या तो बिना मूल्य के या ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जो निर्दिष्ट की जायें, अन्तरित करेगा ।

(2–घ) उपधारा (2–ग) के अधीन प्रार्थी द्वारा निष्पादित किसी बन्धपत्र के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 415, 446, 447 और 449 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, ऐसे लागू होंगे मानों मैजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मैजिस्ट्रेट के स्थान पर नियत प्राधिकारी के प्रति अभिदेश और सेशन्स न्यायाधीश के प्रति अभिदेश के स्थान पर नियंत्रक प्राधिकारी के प्रति अभिदेश रख दिये गये हों ।]

[1][(3) यदि अनुज्ञा अस्वीकृत कर दी जाती है, तो ऐसे अस्वीकरण के आधार प्रार्थी को, ऐसी रीति से जो नियत की जाय, ऐसे प्रार्थना–पत्र की प्राप्ति के नब्बे दिन के भीतर संदिष्ट किये जायेंगे ।]

(4) यदि उपधारा (3) में उल्लिखित अवधि के भीतर अनुज्ञा की स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने की आज्ञा संदिष्ट न की जाय तो प्रार्थी लिखित संदेश द्वारा इस अकरण (omission) अथवा उपेक्षा (neglect) की ओर नियत प्राधिकारी का ध्यान आकृष्ट कर सकता है और यदि ऐसा अकरण (omission) अथवा ऐसी उपेक्षा (neglect) आगे 30

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 02, 1964 की धारा 3(2) द्वारा प्रतिस्थापित ।

दिन की अवधि पर्यन्त बनी रहती है तो यह समझा जायगा कि नियत प्राधिकारी ने प्रस्तावित कार्य की अनुज्ञा दे दी है ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में किसी बात का ऐसा अर्थ नहीं लगाया जायगा जिससे धारा 5 के अधीन प्रसारित [1][विनियमों] का उल्लंघन कर के कोई व्यक्ति कार्य करने के लिये अधिकृत हों ।

कपट से प्राप्त अनुज्ञा का रद्द किया जाना

[2][**7–क–**यदि धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा दिये जाने के पश्चात् किसी समय नियत प्राधिकारी को यह समाधान हो जाये कि ऐसी अनुज्ञा किसी सारवान व्यपदेशन या किसी कपटपूर्ण वक्तव्य या सूचना के परिणामस्वरूप दी गयी थी तो नियत प्राधिकारी ऐसी अनुज्ञा को, उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, रद्द कर सकता है, और तद्धीन किया गया कोई कार्य, ऐसी अनुज्ञा के बिना किया गया समझा जायगा।]

भवनों में प्रवेश का अधिकार

8–नियत प्राधिकारी किसी व्यक्ति को किसी भी भवन अथवा स्थल में अथवा उस पर सहायकों या श्रमिकों सहित अथवा उनके बिना निम्नलिखित प्रयोजनों के निमित्त प्रवेश करने के लिये अधिकृत कर सकता है––

(क) कोई जांच, निरीक्षण, माप, भू–मापन (survey) अथवा ऐसे स्थल या भवनों के समतल जानने (taking levels) के लिये ;

(ख) निर्माणाधीन कार्यो के परीक्षण के अथवा मल–निष्कासन (sewers) अथवा जल–निष्कासन (drains) प्रणाली का पता लगाने के लिये ;

(ग) यह पता लगाने के लिये कि किसी स्थल का विकास अथवा भवन का निर्माण, [3][इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी विनियम] का उल्लंघन करते हुये अथवा धारा 6 में अभिदिष्ट अनुज्ञा के बिना अथवा किसी ऐसे प्रतिबन्ध का उल्लंघन करते हुये जिसके अधीन उक्त अनुज्ञा दी गई है, हुआ है अथवा हो रहा है ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच समय को छोड़कर तथा अध्यासी को कम से कम 24 घंटे का लिखित नोटिस दिये बिना अथवा यदि कोई अध्यासी न हो तो भवन अथवा भूमि के स्वामी को ऐसा नोटिस दिये बिना, कोई प्रवेश न किया जायगा ।

[4] **[8-क.** The prescribed authority may, after obtaining the sanction of the State Government, delegate all or any of its powers and functions to an officer or authority subordinate to it.]

8–ख– [5][X X X X]

शास्तियां (Penalties)

9–(1) किसी व्यक्ति (person) को, [6][इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी विनियमों] का उल्लंघन करके अथवा धारा 6 में अभिदिष्ट अनुज्ञा

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 41, 1976 की धारा 50 (2) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 02, 1964 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 41, 1976 की धारा 51 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 11, 1960 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 41, 1976 की धारा 52(1) द्वारा निकाला गया।
6. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 41, 1976 की धारा 53(1) द्वारा प्रतिस्थापित ।

के बिना अथवा किसी ऐसे प्रतिबन्ध का उल्लंघन करके जिसके अधीन ऐसी अनुज्ञा दी गई हो, [1][या किसी भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण करने या किसी निर्माण–कार्य को निष्पादित करने से रोकने के लिए धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन की गयी किसी कार्यवाही का उल्लंघन करके] किसी स्थल का विकास अथवा किसी भवन का निर्माण [2][पुनःनिर्माण अथवा उसमें सारवान परिवर्तन करना] अथवा कोई खोदाई का करना या उसका बढ़ाना अथवा किसी सड़क के लिये रास्ते का बनाना आरम्भ करता है अथवा उसे पूरा करता है (undertakes or carries out), दस हजार रूपये तक का अर्थदंड दिया जा सकता है और अपराध अनवरत रूप से होने की दशा में अपराध के निमित्त प्रथम दोष–सिद्धि के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के निमित्त, जिसमें कि अपराध जारी रहे, उसे पांच सौ रूपये प्रतिदिन के हिसाब से और भी अर्थदंड दिया जा सकता है ।

(2) किसी व्यक्ति को, जो धारा 8 के अधीन किसी भवन या भूमि में अथवा उस पर प्रवेश करने के लिये अधिकृत किसी व्यक्ति के प्रवेश में विघ्न डालता है अथवा उसे ऐसे प्रवेश के पश्चात् अर्दित (molest) करता है, एक हजार रूपये तक का अर्थदंड दिया जा सकता है ।

(3) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी है तो प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो अपराध होने के समय कम्पनी के व्यवसाय के परिचालन के निमित्त अवधायक (incharge) था तथा कम्पनी के प्रति उत्तरदायी था तथा कम्पनी स्वयं अपराध के दोषी समझे जायंगे और उनके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उन्हें तदनुसार दंड दिया जा सकेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में किसी बात से किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में व्यवस्थित दंड का भागी नहीं माना जायगा जो वह सिद्ध कर दे कि अपराध बिना उसकी जानकारी के हुआ अथवा उसने ऐसे अपराध का होना रोकने के लिये सभी प्रकार का उचित प्रयास किया था ।

(4) उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह सिद्ध हो जाय कि वह अपराध कम्पनी के किसी डायरेक्टर, प्रबंधक, सेकेटरी अथवा अन्य अधिकारी की सहमति से अथवा गुप्त सहयोग (connivance) से हुआ है अथवा उसकी ओर से उपेक्षा के कारण हुआ है तो ऐसा डायरेक्टर, प्रबन्धक, सेक्रेटरी अथवा अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और उसके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे तदनुसार दंड दिया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण––इस धारा के प्रयोजनों के निमित्त––

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित संस्था (body corporate) से है तथा इसके अंतर्गत कोई फर्म अथवा व्यक्तियों का कोई एसोसियेशन भी है ; और

(ख) किसी फर्म के संबंध में "डायरेक्टर" का तात्पर्य फर्म के साझीदार से है ।

कुछ दशाओं में भवन गिराने की आज्ञा

10–(1) [3][इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी विनियम] का उल्लंघन करके अथवा धारा 6 में अभिदिष्ट अनुज्ञा के बिना अथवा किसी ऐसे प्रतिबन्ध का

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 41, 1976 की धारा 53(2) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1964 की धारा 7 द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 41, 1976 की धारा 54(1)(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।

उल्लंघन करके जिसके अधीन अनुज्ञा दी गई हो किसी भवन का निर्माण आरम्भ किया गया हो अथवा निर्माण हो रहा हो अथवा निमार्ण पूर्ण हो चुका हो तो नियत प्राधिकारी [1][धारा 9 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना], यह आज्ञा दे सकती है कि उसका स्वामी ऐसे निर्माण को ऐसी अवधि के भीतर जो आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय और जो किसी दशा में दो मास से अधिक न होगी, गिरा दे और स्वामी द्वारा आज्ञा का अनुपालन न किये जाने पर नियत प्राधिकारी उसे स्वयं [2][सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकारी के माध्यम से अथवा ऐसे अन्य अभिकरण के माध्यम से जिसे यह उचित समझे,] गिरवा सकता है तथा इस प्रकार गिरवाने का व्यय उसके स्वामी से उसी प्रकार वसूल किया जा सकेगा जैसे कि मालगुजारी की बकाया (as arrear of land-revenue) :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी ऐसी आज्ञा तब तक जारी नहीं की जायगी जब तक कि स्वामी को सुनवाई का अवसर न प्रदान कर दिया गया हो ।

[3][(2) यदि नियत प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि किसी भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण या किसी ऐसे निर्माण–कार्य का निष्पादन जो कि धारा 6 में आंभनिर्दिष्ट है, अवैध रूप से प्रारम्भ किया गया है अथवा अवैध रूप से किया जा रहा है तो वह ऐसा निर्माण, पुनर्निर्माण या निष्पादन का निदेश देने वाले या उसे करने वाले व्यक्ति को लिखित नोटिस देकर यह अपेक्षा कर सकता है कि वह उसे तत्काल रोक दे, और उसके ऐसा न करने पर ऐसे निर्माण या पुनर्निर्माण के लिये जाने को या निष्पादन को रूकवा सकता है और उसके लिए ऐसे युक्तियुक्त बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो ।]

न्यायालयों का क्षेत्राधिकार

11–प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट से भिन्न कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध की सुनवाई न कर सकेगा ।

अभियोजन के निमित्त नियत प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति

12–(1) इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध का अभियोजन नियत प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति बिना निविष्ट नहीं किया जायगा ।

[4][(2) नियत प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का या तो अभियोजन निर्दिष्ट किये जाने के पूर्व अथवा उसके पश्चात्, ऐसी शर्तों पर (जिनके अन्तर्गत अपराध के लिए संधान स्वरूप धनराशि का भुगतान भी हो सकता है) जैसा, यथास्थिति, वह या नियंत्रक प्राधिकारी उचित समझे अभिसंधान कर सकता है, और नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा अपेक्षा किये जाने पर, अभिसंधान करेगा ।]

मैजिस्ट्रेट का अभिवर्धित शास्तियां आरोपित करने का अधिकार

13–कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1898 की धारा 32 में किसी बात के होते हुए भी, किसी भी प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के न्यायालय के लिये यह वैध होगा कि वह उक्त धारा के अधीन अपने अधिकारों से अतिक्रान्त इस अधिनियम द्वारा अधिकृत दंडाज्ञायें पारित करे ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 41, 1976 की धारा 54(1)(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 41, 1976 की धारा 54(i)(ग) द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 41, 1976 की धारा 54(2) द्वारा बढ़ाया गया ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 41, 1976 की धारा 55 द्वारा बढ़ाया गया ।

14– [1][X X X X]

अनुज्ञा स्वीकार अथवा अस्वीकार करने वाली आज्ञायें अंतिम होंगी

15–(1) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा देने या न देने की कोई आज्ञा, उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगी और उस पर किसी भी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी।

(2) धारा 7 के अधीन अनुज्ञा देने या न देने [2][अथवा धारा 7–क के अधीन अनुज्ञा रद्द करने की आज्ञा] [3][की धारा 10 के अधीन किसी संरचना को गिराने के आदेश अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अभियोजन प्राप्त किये जाने के विरुद्ध] की आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसी आज्ञा के दिनांक से तीस दिन के भीतर नियंत्रक प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है और नियंत्रक प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा तथा इस पर किसी भी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी ।

[4][(3) नियंत्रक प्राधिकारी उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत की गई अपील पर निर्णय होने तक उस आज्ञा के प्रवर्तन को, जिसके विरूद्ध अपील की गयी हो, स्थगित कर सकता है ।]

[5][(4) उपधारा (3) के अधीन आज्ञा नियंत्रक प्राधिकारी की ओर से उसके सभापति द्वारा दी जा सकती है और ऐसी आज्ञा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा दी गयी समझी जायेगी, भले ही धारा 4 में कोई प्रतिकूल बात दी हो ।]

राज्य सरकार का पुनरीक्षण संबंधी अधिकार

[6]**[15–क–**(1) राज्य सरकार किसी भी समय स्वतः या उसे तदर्थ प्रार्थना–पत्र दिये जाने पर, इस अधिनियम के अधीन दी गई किसी आज्ञा की वैधता अथवा उसके औचित्य के संबंध में अपना समाधान करने के लिए नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा निस्तारित किसी मामले का अभिलेख मंगा सकती है और उसके संबंध में ऐसी आज्ञा दे सकती है जो वह उचित समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ऐसी कोई आज्ञा नहीं देगी जिसका उस व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।

(2) राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त अधिकार किसी ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को जो नियंत्रक प्राधिकारी के सभापति से निम्न न होगा, प्रतिनिहित कर सकती है ।]

सद्भाव से किये गये कार्य का संरक्षण

16–कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरूद्ध ऐसे कार्य के लिए नहीं हो सकेगी जो इस अधिनियम अथवा तदन्तर्गत निमित्त विनियमों के अधीन सद्भावना से किया गया हो या जिसकी उक्त प्रकार से करने का उद्देश्य हो।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 41, 1976 की धारा 56 द्वारा निकाला गया ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 02, 1964 की धारा 9(1) द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 11, 1960 की धारा 7 द्वारा बढ़ाया गया ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 02, 1964 की धारा 9(2) द्वारा बढ़ाया गया ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 02, 1964 की धारा 9(2) द्वारा बढ़ाया गया ।
6. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 41, 1976 की धारा 57 द्वारा प्रतिस्थापित।

स्थानीय प्राधिकारी की निधियों में फीस आदि का जमा किया जाना

[1][**16–क–**(1) किसी नगर (जैसा कि वह उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 में परिभाषित है) की सीमाओं के भीतर नियत प्राधिकारी या नियंत्रक प्राधिकारी के कृत्यों का सम्पादन करने के संबंध में इस अधिनियम के अधीन वसूल की गयी समस्त फीस और धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन वसूल की गयी समस्त धनराशि संबद्ध नगर महापालिका की निधि में जमा की जायगी ।

(2) राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा उपधारा (1) के उपबन्धों का प्रसार, यूनाइटेड प्राविंसेज म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 में यथापरिभाषित किसी म्युनिसिपैलिटी पर ऐसे दिनांक से जैसा वह निदेश दे, कर सकती है, और तदुपरान्त उस उपधारा में नगर के प्रति अभिदेशों का उस म्युनिसिपैलिटी के संबंध में इस प्रकार अर्थ लगाया जायगा मानों उनके अन्तर्गत उक्त म्युनिसिपैलिटी के लिए अभिदेश भी हो ।

(3) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह निदेश दे सकती है कि उपधारा (1) के उपबन्ध किसी नगर पर लागू न रहेंगे, और तदुपरान्त उपधारा (1) के उपबन्ध ऐसे नगर पर लागू न रह जायेंगे और इसी प्रकार उपधारा (2) के अधीन किसी विज्ञप्ति को विखंडित कर सकती है और तदुपरान्त उपधारा (1) के उपबन्ध सम्बद्ध म्युनिसिपैलिटी पर लागू न रह जायेंगे ।

(4) प्रत्येक नगर महापालिका या म्युनिसिपल बोर्ड, जिस पर तत्समय उपधारा (1) के उपबन्ध लागू हों, जब नियत प्राधिकारी या नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा ऐसा अनुरोध किया जाय, ऐसे कर्मचारिवर्ग उपलब्ध करेगा जो, यथास्थिति, नगर या म्युनिसिपैलिटी की सीमाओं के भीतर उस प्राधिकारी के कृत्यों का सम्पादन करने के लिये आवश्यक हों ।]

अन्य विधियों से असंगत इस अधिनियम के उपबन्धों का प्रभाव

17–[2][इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि] में किसी असंगत बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे ।]

अपवाद (Saving)

18–इस अधिनियम में कोई बात निम्नलिखित पर प्रवृत्त न होगी ––

(क) किसी भवन के रखरखाव, सुधार अथवा अन्य किसी परिवर्तन के निमित्त ऐसे निर्माण–कार्य का किया जाना जिससे केवल भवन के भीतरी भाग (interior) पर ही प्रभाव पड़ता हो अथवा जिनसे भवन के वाह्यरूप पर महत्वपूर्ण प्रभाव न पड़ता हो ;

(ख) राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा मल–निष्कासनों (sewers), मेनों (mains), नलों, केबिलों (cables) अथवा अन्य उपकरणों को, जिसके अन्तर्गत तदर्थ किसी सड़क अथवा अन्य भूमि का तोड़ा जाना भी है, निरीक्षण, मरम्मत करने अथवा नये करने के सम्बन्ध में किया जाने वाला कार्य ;

(ग) ऐसे भवन का निर्माण जो निवास–गृह न हो, यदि ऐसा भवन कृषि के अनुसेवी प्रयोजनों के निमित्त अपेक्षित हो ;

(घ) [3][* * * *]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 41, 1976 की धारा 58 द्वारा बढ़ाया गया ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 41, 1976 की धारा 59 द्वारा प्रतिस्थापित ।

3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 26, 1961 की धारा 4 द्वारा निकाला गया ।

(ङ) पूजा स्थान या कब्र या स्मारक (cinotaph) का, अथवा कब्रिस्तान, पूजा का स्थान, स्मारक अथवा समाधि को घेरने वाली दीवाल का ऐसी भूमि पर निर्माण, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय, ऐसे पूजा स्थान, कब्र, स्मारक कब्रिस्तान अथवा समाधि के प्रयोजन के लिए या उससे अध्यासित हो ;

(च) कृषि सम्बन्धी क्रियाओं के साधारण दौरान में खोदाई (जिसके अन्तर्गत कुएं भी है) ;

(छ) एक मात्र कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि पर पहुंचने के उद्देश्य से, कच्ची सड़क का बनाना ।

विनियम बनाने का अधिकार

19–(1) राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के निमित्त [1][नियम] बना सकती है ।

(2) विशेषतः एवं पूर्वोक्त अधिकार की व्यक्ति को बाधित न करते हुए ऐसे [2][नियम] निम्नलिखित समस्त अथवा किसी विषय की व्यवस्था कर सकते है, अर्थात् :––

(क) नियंत्रक प्राधिकारी के अधिवेशनों को बुलाना तथा करना, समय तथा स्थान जहां ऐसे अधिवेशन किये जायं, नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा व्यवहृत किये जाने वाले समस्त कार्यों का परिचालन तथा गणपूर्ति (quorum) के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के सम्पादन में नियत प्राधिकारी द्वारा परिपालन की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ग) नियंत्रक प्राधिकारी तथा नियत प्राधिकारी की आज्ञाओं तथा अन्य कारणों के प्रमाणित करने की रीति ;

(घ) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन प्रार्थना–पत्र देने का आकार तथा इस प्रार्थना–पत्र में दी जाने वाली सूचना ;

(ङ) सड़क पर पहुंचने के रास्तों के बनाने का विनियमन ;

(च) वे सिद्धान्त जिनके अधीन इस अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञा के निमित्त प्रार्थना–पत्र स्वीकृत किये जा सके ;

(छ) धारा 15 के अधीन अपील करने की रीति तथा अपील में नियंत्रक प्राधिकारी की प्रक्रिया ;

[3][(छछ) for the levy of fee on an application for grant of permission under section 7 (1) of this Act in respect of matters specified in sections 5 and 14 thereof and for [4][inspection or obtaining copies of] documents and maps, etc., and on a memorandum of appeal filed under sub-section (2) of section 15 of this Act.] [5][; and]

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 41, 1976 की धारा 60(1) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 41, 1976 की धारा 60(2) द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 11, 1960 की धारा 9 द्वारा बढ़ाया गया।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 29, 1966 की धारा 16 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1964 की धारा 10 द्वारा बढ़ाया गया।

विधान मंडल के समक्ष विनियमों का रखा जाना

[1] [**20**–इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी विनियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिये जो उसके एक सत्र या दो अथवा उससे अधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकती है, रखे जायेंगे और, जब तक कि कोई बाद का दिनांक नियत न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐस परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मंडल के दोनो सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हों किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध विनियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।]

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 14, 1976 की धारा 61 द्वारा बढ़ाया गया ।